न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 54 / 2014 / बाड़मेर

अपीलांट

1. भाखराराम पुत्र बागाराम उम्र 40 वर्ष
2. गंगाराम पुत्र बागाराम उम्र 35 वर्ष
3. जयराम पुत्र वागाराम उम्र 30 वर्ष
4. पांचुदेवी बेवा वागाराम उम्र 58 वर्ष

जातियान विश्नोई, निवासीयान बामड़ला डेर(भंवार), तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.धूड़ाराम पुत्र खुमला उर्फ खुमाराम के कायम मुकामः–

1 / 1सोनाराम पुत्र धुड़ाराम उम्र 45 वर्ष

1 / 2मोहन पुत्र धुड़ाराम उम्र 35 वर्ष

1 / 3झबूदेवी बेवा धुड़ाराम उम्र 70 वर्ष जातियान विश्नोई निवासीयान बामड़ला डेर, भंवार तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर

1 / 4शांति देवी पुत्री धुड़ाराम पत्नी मुलाराम उम्र 48 वर्ष

1 / 5द्रोपदी पुत्री धुड़ाराम पत्नी जगदीश उम्र 40 वर्ष जातियान विश्नोई, निवासीयान दूठवा, तहसील चितलवाना, जिला जालोर

1 / 6हीरां पुत्री धुड़ाराम पत्नी सुजानाराम उम्र 30 वर्ष जाति विश्नोई, निवासी सावा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

2.विरधाराम पुत्र खूमला उर्फ खुमा उम्र 55 वर्ष जाति विश्नोई, निवासी बामड़ला डेर, भंवार, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

3.श्रीमान तहसीलदार, सेड़वा।

प्रोफार्मा उतरदाता / प्रतिवादीगणः–

4.मैनेजर,एस.बी.बी.जे. शाखा सेड़वा

5.मैनेजर, दी बाड़मेर सैन्ट्रल

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कॉपरेटिव बैंक, शाखा सेड़वा,
तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
6.पेमाराम पुत्र तेजाराम उम्र 65 वर्ष
7.रामकिशन पुत्र चोखाराम उम्र 62 वर्ष जातियान विश्नोई, निवासी सोनड़ी, जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर चौहटन के मूल राजस्व वाद संख्या 136/2010 बअनवान धुड़ाराम कायम मुकाम बनाम भाखराराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2014 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुनील के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बाबुलाल विश्नोई रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 03.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा बामड़ला डेर, पटवार हल्का भंवार, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 287 रकबा 73.01 बीघा, खसरा संख्या 294 रकबा 5.14 बीघा व खसरा संख्या 310 रकबा 19.18 बीघा कुल रकबा 98.13 बीघा में प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.02.2011 के अनुसार उतरदाता संख्या 01 का 1/3 हिस्सा उतरदाता संख्या 2 का 1/3 हिस्सा व अपीलांट का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा सहित खसरा संख्या 310 रकबा 19.18 बीघा में उतरदाता संख्या 2 का 1/3 हिस्सा एवं अपीलांट का संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा घोषित कर माफिक हिस्सा मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया था। जिसके क्रम में राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत रूप से मौके पर अपीलांट उ उतरदातागण के वास्तविक कब्जे के प्रतिकूल जाकर गलत रूप से विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.06.2014 को स्वीकार कर विभाजन प्रस्ताव के साथ ही हिस्सों को संशोधित करते हुए अंतिम डिक्री दिनांक 29.10.2014 को पारित करने में विधि, तथ्यों एवं पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों की भारी अनदेखी कर गलत रूप से आदेश पारित किया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने से पूर्व तनकियात कायम किए बिना अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिए बिना प्राथमिक डिक्री अनुसार डिक्री के विरूद्ध जाकर अपीलांट की अनुपस्थित में बिना मौके पर आये गलत रूप से बनाया जिसमें अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है, मौके के कब्जे काश्त के प्रतिकूल पेश विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए विवादित आराजी का बंटवारा करने का आदेश पारित कर दिया। तथा उप तहसीलदार सेड़वा को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कमीशनर नियुक्त किया था, किन्तु उप तहसीलदार सेड़वा ने न्यायालय के आदेश की पालना न करते हुए विभाजन प्रस्ताव हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक सेड़वा को कमीशनर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया है, जबकि राजस्व नियमानुसार उप तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर के आदेश को प्रत्यावर्तित करने का कोई अधिकारी नहीं है। खसरा संख्या 287 के संबंध में जो पूर्व का विभाजन प्रस्ताव है उसमें अपीलांट की भूमि को एक ही खसरे में दो भागों में बांटकर उनके मध्य करीब 01.10 बीघा भूमि को रास्ते के रूप में अंकित किया है, जो किसी भी रूप में अंकित किया है, जो किसी भी रूप में न्यायिक नहीं है। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि हस्तगत अपील में तीन वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 287, 294 व 310 के संबंध में विभाजन हेतु प्रस्तुत दावा है जबकि दूसरे प्रकरण संख्या 16/2013 में केवल एक वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 310 के संबंध में ही वाद प्रस्तुत हुआ है। दोनों वादों में पक्षकारों में भी असमानता

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

है। अपीलाधीन निर्णय विभाजन प्रस्ताव तैयारी की मौका फर्द दिनांक 16.06.2011 रिकॉर्ड पर है, जिसके मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार होकर निर्णय नहीं हुआ है जिसमें अपीलांटगण पक्ष को आपति रही है। इसी तरह मौका फर्द दिनांक 26.04. 2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसके साथ कोई विभाजन प्रस्ताव नहीं भिजवाया गया बल्कि पूर्व में प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का हवाला देकर उसकी प्रति संलग्न कर भिजवाई। अतः मौके पर विभाजन प्रस्ताव पुनः नियमानुसार राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना में तहसीलदार/उप तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर स्वयं By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया। लिहाजा विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करना उचित होगा।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चौहटन के मूल राजस्व वाद संख्या 136/2010 बअनवान धुड़ाराम कायम मुकाम बनाम भाखराराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2014 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर एवं तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर पुनः निर्णय पारित करे।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner